सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 757 राँची, शनिवार

2 कार्तिक, 1937 (श०)

24 अक्टूबर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

2 सितम्बर, 2015

1. उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-943/गो0, दिनांक 21 जून, 22012, पत्रांक-174/स्था0, दिनांक 30 अप्रैल, 2014 एवं पत्रांक-293/स्था0, दिनांक 18 जून, 2015

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- पत्रांक-8787, दिनांक 28 जुलाई, 2012; पत्रांक-1540, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013; पत्रांक-2536, दिनांक 19 मार्च, 2013; पत्रांक-3451, दिनांक 25 जनवरी, 2013; पत्रांक-4014, दिनांक 05 मई, 2014 एवं पत्रांक-64, दिनांक 06 जनवरी, 2015

3. आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण पत्रांक-01, दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 एवं पत्रांक-1203, दिनांक 30 मार्च, 2013

संख्या- 5/आरोप-1-549/2014 का॰-7983--श्री राज कुमार चौधरी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-425/03, गृह जिला- नवादा), के विरूद्ध इनके उप विकास आयुक्त, कोडरमा के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-943/गो0, दिनांक 21 जून, 22012 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है। श्री चौधरी के विरूद्ध कुल-9 (नौ) आरोप लगाये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के प्राध्यापक श्री संजय कुमार सिंह कोडरमा जिला में "Convergence in MNREGA Scheme" विषय पर अध्ययन एवं शोध हेतु दिनांक 12 जनवरी, 2012 को कोडरमा पहुँचे। उक्त कार्यक्रम की सूचना श्री चौधरी को पूर्व में दी जा चुकी थी, परन्तु इन्होंने दिनांक 12 जनवरी, 2012 को जानबूझकर बगैर उपायुक्त की अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहे और दिनांक 13 जनवरी, 2012 को भी मुख्यालय वापस नहीं आये, जिस कारण श्री संजय कुमार सिंह को "Convergence in MNREGA Scheme" विषय पर अध्ययन एवं शोध में व्यवधान उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने श्री चौधरी से दूरभाष पर सम्पर्क किया तो श्री चौधरी ने कहा कि क्षेत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उपायुक्त ही इस संबंध में कोई जानकारी दे सकते हैं।

2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्र भेजकर निदेश दिया गया कि जिला में नियुक्त मनरेगा लोकपाल को क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन, बैठने हेतु कक्ष, उपस्कर और कार्य करने हेतु कम्प्यूटर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, अनुसेवक आदि की व्यवस्था जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से की जाय। इसके बावजूद लोकपाल के भ्रमण, कम्प्यूटर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, अनुसेवक आदि की व्यवस्था आपके द्वारा नहीं की गई। इसके कारण लोकपाल को क्षेत्र भ्रमण एवं अपने कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

3. भारत सरकार को बी0आर0जी0एफ0 मद से निधि के आवंटन हेतु जिला योजना समिति की आवश्यक बैठक माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग-सह-अध्यक्ष, जिला योजना समिति, कोडरमा की अध्यक्षता में दिनांक 03 मार्च, 2012

को सम्पन्न हुई थी। विषय इतना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक था कि उक्त बैठक की कार्यवाही तैयार कर माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग-सह-अध्यक्ष, जिला योजना समिति, कोडरमा के अनुमोदनार्थ तुरंत भेजा जाना आवश्यक था। दिनांक 05 मार्च, 2012 को आपके द्वारा संचिका में बैठक की कार्यवाही अपने हस्ताक्षर के साथ माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग-सह-अध्यक्ष, जिला योजना समिति, कोडरमा को अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ पृष्ठांकित करते हुए आपको जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की संचिका सं0-XII.1/2012 में निम्न सुस्पष्ट आदेश दिये गये- ''उप विकास आयुक्त अपने राँची जाकर आज ही माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष, जिला योजना समिति से बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करा लें और उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लें। तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची (उपस्थिति पंजी के अनुसार), उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरणी और वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 की अनुमोदित वार्षिक योजना के साथ राशि विमुक्त का प्रस्ताव आज ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सचिव, पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड, राँची को भेज दें। साथ ही 13वें वित्त आयोग से पंचायतों के लिए प्राप्त राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त कर आज ही राशि की निकासी कर लें और इसकी सूचना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के पंचायत राज विभाग/मंत्रालय को ई-मेल, फैक्स, विशेष दूत से भेज दें।

आपको कहा गया कि संचिका लेकर स्वयं राँची जाएँ और माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग-सह-अध्यक्ष, जिला योजना समिति, कोडरमा से मिल कर हाथों-हाथ अनुमोदन करा लें तथा उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लें एवं अनिवार्य रूप से दिनांक 06 मार्च, 2012 को मुख्यालय वापस आ जाएँ ताकि कार्यवाही प्राप्ति के साथ प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा सके। किन्तु आप दिनांक 06 मार्च, 2012 को मुख्यालय वापस नहीं आये और आपने माननीय अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवाही भी मेरे समक्ष उपस्थापित नहीं की और दिनांक 07 मार्च, 2012 से दिनांक 09 मार्च, 2012 के लिए अवकाश आवेदन पत्र भेजकर आप मुख्यालय से बाहर चले गये, जिस कारण अनुमोदित

कार्यवाही की प्रति, व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र और वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिए अनुशंसित योजनाओं की सूची के साथ भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में बी0आर0जी0एफ0 मद में केन्द्र सरकार से कोडरमा जिला को कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिए आप एक मात्र दोषी एवं उत्तरदायी है, आपके चलते ऐसा हुआ। इस संबंध में पत्रांक-336/गो0, दिनांक 07 मार्च, 2012 से आपको आवश्यक निदेश दिये गये और कारण पृच्छा माँगी गई। आपने अपने पत्रांक-255/अभि0, दिनांक 13 मार्च, 2012 से इस संबंध में कारण पृच्छा दी जिसमें आपने अंकित किया है कि दिनांक 08 मार्च, 2012 को माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग-सह-अध्यक्ष, जिला योजना समिति, कोडरमा द्वारा कार्यवाही पर हस्ताक्षर किया गया। इस कारण आप दिनांक 06 मार्च, 2012 को मुख्यालय नहीं लौटे, किन्तु संबंधित संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग-सह-अध्यक्ष, जिला योजना समिति, कोडरमा ने दिनांक 05 मार्च, 2012 को ही कार्यवाही अनुमोदित की है और अपना हस्ताक्षर किया है तथा संचिका आपको वापस कर दी है, इसके बाद आपने भी उसी दिन यानि दिनांक 05 मार्च, 2012 को अपने हस्ताक्षर से ज्ञापांक-237/अभि0, दिनांक 05 मार्च, 2012 से कार्यवाही निर्गत भी की है। इस तरह सुस्पष्ट है कि आपने अपने पत्रांक-255/अभि0, दिनांक 13 मार्च, 2012 से जो कारण पृच्छा दी है वह सही नहीं है। एक तो आप अनाधिकृत रूप से दिनांक 09 मार्च, 2012 तक अनुपस्थित रहे और मुख्यालय से बाहर रहे।

4. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ई0सी0आई0एल0 हैदराबाद के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना-2011 कराई जा रही है, जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0-6940, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 द्वारा आपको जिला सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, किन्तु आपके द्वारा जिला सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना पदाधिकारी के दायित्वों का कोई निर्वहन नहीं किया गया। दिनांक 03 जनवरी, 2012 को सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना-2011 की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास

विभाग, राँची द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, झारनेट पर पूर्वाह्न 11:00 बजे से की गई थी, किन्तु आप दिनांक 03 जनवरी, 2012 को उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित थे। इस संबंध में आपको पत्रांक-14/गो0, दिनांक 03 जनवरी, 2012 से आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये, किन्तु आपने इसका कोई अनुपालन नहीं किया बल्कि आपने अपना पत्रांक-22, दिनांक 10 जनवरी, 2012 में यह अनुरोध किया कि उप विकास आयुक्त और सचिव, जिला परिषद् के कार्यों को छोड़कर जिला स्तर से और मेरे स्तर से आपको कोई कार्य आवंटित नहीं किया जाय।

जिला सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना पदाधिकारी आपको सरकार ने नियुक्त किया है और सरकार के प्रधान सचिव द्वारा ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही थी। यह कार्य जिला द्वारा प्रायोजित नहीं था वैसे उपायुक्त को अपने किसी भी अधीनस्थ पदाधिकारी आवश्यकतानुसार कोई भी कार्य आवंटित करने का पूर्ण अधिकार है।

5. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय विधायक, कोडरमा द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके द्वारा अनुशंसित विधायक मद की योजनाओं में कार्य होने और जाँच होने के बावजूद भी आपके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा उनकी नयी अनुशंसित योजनाओं में कार्यादेश नहीं दिये जा रहे हैं जिस कारण उनके (माननीय विधायक) द्वारा अनुशंसित योजनाएँ अपूर्ण रह गई और राशि भी व्यय नहीं हो सकी है। माननीय विधायक का यह भी आरोप है कि आपके द्वारा प्रत्येक योजनाओं में 06 (छः) प्रतिशत घूस की माँग की जा रही है और यह राशि नहीं देने पर भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा नयी योजनाओं में कार्यादेश भी नहीं दिये जा रहे हैं।

6. 6.1 श्री सत्यदेव राय, केन्द्रीय समिति सदस्य, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, कोडरमा जिला ने परिवाद पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम सभा द्वारा चयनित उम्मीदवार को दरकिनार कर आपके द्वारा नियम विरूद्ध अपने स्तर से मड़ुवाटांड, आंगनबाड़ी केन्द्र में सेविका की नियुक्ति पैसे का लेन-देन कर की गई है।

6.2 झुमरी तिलैया के वार्ड नं0-1, नरेश नगर, भुईया टोला, केन्द्र कोड संख्या-256 में आपके द्वारा सेविका उर्मिला कुमारी, पति-श्री राजेश भुईयाँ की नियुक्ति की गई, परन्तु अपने रिश्तेदार श्रीमती रेशमी कुमारी, पति- अजय कुमार चौधरी को सेविका पद पर नियम विरूद्ध नियुक्ति करने हेतु आपके द्वारा पूर्व में की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया गया।

इस प्रकार आपके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका/सहायिका की नियुक्ति में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों की उपेक्षा की गई एवं नियमों की अवहेलना की गई है तथा नियम विरूद्ध गलत ढंग से नियुक्ति की गई।

7. दिनांक 06 मार्च, 2012 को सम्पन्न जिला स्तरीय विकास की मासिक बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जयनगर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवारा द्वारा बताया गया कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत उनका प्रस्ताव 15 दिनों से अधिक समय से आपके यहाँ लम्बित है जिस कारण स्वयं सहायता समूहों को परिक्रमी निधि भी नहीं मिली है और बैंकों द्वारा वित्त पोषण भी नहीं किया जा रहा है।

8. दिनांक 06 मार्च, 2012 को सम्पन्न जिला स्तरीय विकास की मासिक बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मरकच्चो द्वारा बताया गया कि इंदिरा आवास योजना में सतगावाँ एवं मरकच्चो प्रखण्डों को राशि आपके द्वारा विमुक्त नहीं किये जाने के कारण उक्त योजना का कार्य दोनों प्रखण्ड में बंद है।

9. डा. नीरा यादव, उपाध्यक्ष, जिला परिषद्, कोडरमा ने आपके विरूद्ध निम्न आरोप लगया है:-

9.1 आपके द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण कार्य व निर्णय बगैर जिला परिषद् की बैठक के ही कर लिए जाते है, जिससे जिला परिषद् के अधिकारों का हनन हो रहा है। निविदा के बाद योजनाओं का टी0एस0 एकरारनामा और संवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वगैर निविदा के समिति के समक्ष रखे आपके द्वारा स्वयं निर्णय लिया गया है। इस तरह के मामलों को बोर्ड के बैठक में उठायें जाने के बावजूद भी बैठक की कार्यवाही में इसे शामिल नहीं कराया जाता है साथ ही संधारित कार्यवाही बोर्ड से अनुमोदन कराना भी आपके द्वारा उचित नहीं समझा

गया और अपने मन से बैठक की कार्यवाही में जोड़-तोड़ कर संधारित कर लिया जाता है, जो आपकी स्वेच्छाचारिता को दर्शाता हैं

9.2 आपके द्वारा जिला योजना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं सिमति के अध्यक्ष-सह-माननीय मंत्री श्री सत्यानन्द झा बाटूल जी के निदेशों की भी उल्लंघन किया गया। दिनांक 18 दिसम्बर, 2011 को योजना समिति की बैठक में सदस्यों को पहले से सूची दिये बिना योजनाओं को पारित करने का प्रस्ताव रखे जाने पर जब विरोध हुआ था तो माननीय मंत्री जी ने जिला परिषद् की बैठक कर योजनाओं की सूची को देखने व इसमें आवश्यक संशोधन कर अनुमोदन करने का निर्देश दिया था। इस आलोक में दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 को जिला परिषद् की बैठक बुलाई गई, परन्तु निर्देश के विपरित आपने किसी भी प्रकार के संशोधन करने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि वर्ष 2011-12 के योजनाओं की सूची भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है और इसमें संशोधन करना दायरके से बाहर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा उक्त बाते योजना समिति की बैठक में नहीं रखी गई और बिना बोर्ड के अनुमोदन के ही सूची पहले ही भारत सरकार को भेजी गई जिसका अब जिला परिषद् की बैठक में अनुमोदन कराना चाहते है। जिला परिषद् की उक्त बैठक में आपके इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है और पुनः दिनांक 28 दिस्म्बर, 2011 को बैठक करने का निर्णय लिया गया। परन्तु आपने अखबारों में यह बयान दिया की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है।

9.3 चार कनीय अभियंताओं को कार्य क्षेत्र का आवंटन और एक कनीय अभियंताओं से योजनाओं का प्रभार दूसरे मनपसंद कनीय अभियंता को दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा बोर्ड के अधिकार और कार्य क्षेत्र का हनन कर स्वयं निर्णय लिया गया।

9.4 प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कक्ष के साथ-साथ वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेश उपायुक्त को दिया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, कोडरमा ने ज्ञापांक-21 (मु0), दिनांक 9 अप्रैल, 2011 के द्वारा आपको शीघ्र वाहन उपलब्ध कराने और वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में भाड़े पर वाहन

लेकर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु उक्त निदेश के बावजूद आपके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

9.5 इस प्रकार आपके द्वारा विकास योजनाओं के लोकतांत्रिक पद्धति से क्रियान्वयन में बाधा डाली गई एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छाचारिता बरती गई।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-8787, दिनांक 28 जुलाई, 2012 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इनके पत्रांक-01, दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 द्वारा आंशिक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-1540, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा श्री चौधरी से पूर्ण स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा पत्रांक-2536, दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया। श्री चौधरी के पत्रांक-1203, दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा पूर्ण स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-3451, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा को श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति भेजते हुए अनुशंसा सहित मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक-4014, दिनांक 05 मई, 2014 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया।

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-174/स्था0, दिनांक 30 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री चौधरी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या-5 एवं 7 को छोड़कर शेष के लिए सकारात्मक मंतव्य दिया गया है। आरोप संख्या-5 एवं 7 के लिए कोई मंतव्य नहीं दिया गया। अतः विभागीय पत्रांक-64, दिनांक 06 जनवरी, 2015 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से आरोप संख्या-5 एवं 7 के संबंध में तथ्यों के आधार पर साक्ष्य की माँग की गयी। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-293/स्था0, दिनांक 18 जून, 2015 द्वारा आरोप संख्या-5 एवं 7 हेतु निम्नवत् मंतव्य दिया गया है:-

आरोप संख्या-5- संबंधित संचिका की टिप्पणी पृष्ठ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला योजना पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा दि0 14 सितम्बर, 2011 को संचिका उप विकास

आयुक्त, कोडरमा के समक्ष उपस्थापित की गयी। विभिन्न स्तर से पृच्छा का निराकरण करते हुए दिनांक 13 अक्टूबर, 2012 को विधायक मद की योजना में द्वितीय किस्त भुगतान की स्वीकृति दी गयी।

आरोप संख्या-7- संबंधित संचिका की टिप्पणी पृष्ठ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जयनगर प्रखण्ड के SHG ग्रेड-1 में परिक्रम निधि की अधियाचना के आलोक में कार्यालय द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। दि0 17 फरवरी, 2012 को अंततः इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी प्रकार अन्य लंबित मामलों के निष्पादन हेतु विलंब से स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा से स्पष्ट है कि जयनगर प्रखण्ड अन्तर्गत SHG ग्रेड-1 में परिक्रम निधि की अधियाचना के आलोक में कार्यालय द्वारा दि0 27 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रस्ताव उपस्थापित किया गया एवं दिनांक 17 फरवरी, 2012 को स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार मामला लंबित रहा। विधायक मद की योजना में द्वितीय किस्त की स्वीकृति में भी विलंब हुआ ।

समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री चौधरी को 'निन्दन' की सजा संसूचित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 757—50 ।